

सफाई व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के साथ निगम का राजस्व बढ़ायें कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने निगम अधिकारियों को दिये निर्देश

रतलाम 15 जुलाई । नगर को साफ—स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने तथा नगर निगम की आय में वृद्धि किये जाने हेतु कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ निगम अधिकारी व कर्मचारियों की बैठक लेकर वर्तमान में सफाई कार्य व निगम की अचल संपत्तियों की जानकारी लेकर सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने व निगम की अचल संपत्तियों के विक्रय की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर वर्तमान में किये जा रहे सफाई कार्य की जानकारी लेकर एक सप्ताह में ओर अधिक सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शहर में कचरा तब दिखाई देता है जब 100 प्रतिशत कचरे का संग्रहण नहीं हो रहा होता है इसलिये नगर के सभी घरों से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण किया जाये।

उन्होंने बैठक में निर्देशित किया नगर में ऐसे नागरिक व दुकानदार जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्पॉट फाईन दल के अलावा झोन प्रभारी भी करेंगे।

कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने निर्देशित किया कि हरमाला रोड क्षेत्र में फल—फ्रुट के थोक विक्रेता अधिक हैं तथा वहां कचरा भी अधिक मात्रा में निकलता है, कचरा संग्रहण कार्य के लिये बड़ा वाहन लगाया जाये इसके पश्चात भी खुले में या नाले नालियों में कचरा पाया जाता है तो उन पर बड़े जुर्माने की कार्यवाही की जाये साथ ही ऐसे संस्थान जहां कचरा अधिक मात्रा में निकलता है उन संस्थानों यूजर्स चार्जस लिया जाये।

बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रातः सफाई कार्य पश्चात दुसरी शिफ्ट में सफाई का कार्य ना कराते हुए रात्री में सफाई का कार्य कराया जाये। रात्रिकालीन सफाई में महिला कर्मचारी को छोड़कर पुरुष कर्मचारी 20—20 लगाकर सफाई का कार्य किया जाये व निकलने वाले कचरे के संग्रहण के लिये चारो झोन में 2—2 कचरा संग्रहण वाहन भी लगायें। इसके अलावा मुख्य मार्गों की रात्री में भी सफाई कराये जाने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि प्रातः कालीन शिफ्ट में सफाई का कार्य होता है किन्तु दोपहर की शिफ्ट में अधिकांश कर्मचारी अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं नौकरी में कम से कम 8 घन्टे काम करना अनिवार्य होता है। दोपहर की शिफ्ट में कर्मचारी कार्य नहीं करता है तो उसका आधे दिवस का वेतन काटा जाये इसके बाद भी वह लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसके निलबन्/बर्खास्त करने की कार्यवाही की जाये।

वार्डों में पर्याप्त सफाई कार्य नहीं होने पर उन्होंने निर्देशित किया कि सुपरविजन हेतु नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाये क्योंकि किसी भी कार्य का सुपरविजन नियमित व सही ढंग से होगा तो वह कार्य सही से होगा।

नगर निगम की अचल संपत्तियों की जानकारी ली

सफाई कार्य की बैठक के पश्चात कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने नगर निगम के राजस्व विभाग व विकास शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर निगम की विक्रय योग्य अचल संपत्तियों की जानकारी प्राप्त कर संपत्ति विक्रय की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

बैठक में कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम को निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा राजीव गांधी सिविक सेंटर की 121 संपत्ति, सुभाष शापिंग काम्पलेक्स की 94 दुकानें, डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी बस

स्टैण्ड की दुकान/हॉल/छत, देवरा देव नारायण नगर के 16 फ्लेट, टीआईटी रोड पर रोडवेज को लीज पर दी गई भूमि, अमृत सागर में अतिक्रमण मुक्त की गई भूमि, अर्जून नगर कॉलोनी में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि, पांजरा पोल की दुकानों व नित्यानन्द मार्केट की दुकानों के बारे में जानकारी दिये जाने पर उन्होंने निर्देशित किया कि विक्रय योग्य संपत्तियों के विक्रय किये जाने हेतु निविदा जारी किये जाने की कार्यवाही किये जाने के साथ ही अवैध कब्जे वाली दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के निर्देश दिये।

इसके अलावा बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डोसीगांव में निर्मित एलआईजी फ्लेट व दुकानों, मुखर्जी नगर में निर्मित एमआईजी फ्लेट के ऑन लाईन विक्रय के संबंध में जारी की गई निविदा की जानकारी बैठक में दी।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, मोहम्मद हनीफ शेख, एम. के. जैन, सत्यप्रकाश आचार्य, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, निगम सचिव श्री जसवंत जोशी, उपयंत्री सर्वश्री मनीष तिवारी, राजेश पाटीदार, विकास मरकाम, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, ज्ञान प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान, विराट मेहरा आदि उपस्थित थे।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर शिविरों का आयोजन अब तक 2978 आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 15 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।

आयुष्मान कार्ड वार्डवार बनाये जाने के तहत आज 15 जुलाई गुरुवार को वार्ड क्रमांक 1 में सागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित 61, रिटायर्ड कालोनी अटैच दुकान विनोबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, वार्ड क्रमांक 2 में घनश्याम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित लक्ष्मणपुरा, वार्ड क्रमांक 3 में पुजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित जवाहर नगर अटैच दुकान शीतल महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड क्रमांक 4 में इंदिरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इन्द्रलोक नगर में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

उक्त वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर 14 जुलाई बुधवार को 199 व 15 जुलाई को 236 कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 2978 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडी, आधार कार्ड, खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ निर्धारित दिनांको को अपने वार्ड की उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

पथ विक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करें ऋण हेतु नगर निगम के एनयूएलएम विभाग में संपर्क करें

रतलाम 15 जुलाई । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के हाथीखाना स्थित एनयूएलएम कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 15 जुलाई को 74 टन कचरा जुलवानिया पहुंचा

रतलाम 15 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है जिसके तहत 15 जुलाई बुधवार को 74 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

15 जुलाई गुरुवार को डम्पर व ट्रेक्टर ट्रॉली से 34545, काम्पेक्टर सूखा कचरा 24285, काम्पेक्टर गीला कचरा 14410 व मैजिक 1530 किलो इस तरह कुल 74765 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

1082 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 15 जुलाई । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 15 जुलाई तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1082 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 15 जुलाई को हरमाला रोड, घांस बाजार, चौमुखी पुल, टीआईटी रोड आदि क्षेत्रों से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा

है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 15 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 15 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 15 जुलाई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की

सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/15.07.2021/न.पा.निगम, रतलाम.